

// आदेश //

मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ निम्नांकित सारणी के स्तम्भ 2 में अंकित वाणिज्य कर अधिकारियों को सारणी के स्तम्भ-3 में अंकित पद का अतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदान करती हूँ :-

क्र० सं०	वाणिज्य कर अधिकारी का नाम / पदनाम / वर्तमान तैनाती का स्थान	पद जिसका अतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है
1	2	3
1.	श्री सन्तोष कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-4 आगरा	वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-5 आगरा
2.	श्री राम बहादुर वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-4 बरेली	वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-6 बरेली
3.	श्री देवेन्द्र कुमार वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-9 गाजियाबाद	वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-8 गाजियाबाद
4.	श्री हीरालाल जायसवाल वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-12 गाजियाबाद	वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-10 गाजियाबाद
5.	श्री राम दास वाणिज्य कर अधिकारी, सचलदल मैनपुरी	वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-1/2/3 मैनपुरी
6.	श्री महेश चन्द वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-12 मेरठ	वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-1 मेरठ
7.	श्री अखिलेश कुमार वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-1 बाराबंकी	वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-2, 3 व 4 बाराबंकी
8.	श्री शारदा शंकर सिंह वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-1 लखीमपुरखीरी	वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-3 लखीमपुरखीरी
9.	श्री दिनेश कुमार लाल श्रीवास्तव वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-4 लखीमपुरखीरी	वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-2 लखीमपुरखीरी

उक्त पदों पर अन्य अधिकारियों की नियमित तैनाती के फलस्वरूप प्रदत्त अतिरिक्त क्षेत्राधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा। इस कार्य हेतु उपर्युक्त अधिकारियों को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश कमिश्नर महोदय के अनुमोदन एवं उनसे प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है

ॐ


(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।
2. सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर।
3. संबन्धित अधिकारियों को नाम से।
4. सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।



(विनोद कुमार सिंह)

ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

श्री रामदेव
एग्जा. वेबसाईट
पर upload करें।
अतिरिक्त
ACIT